न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती नूरजहाँ पत्नी कमरू खान, निवासी चाँदमारी, आबूरोड		1. श्री जमालुदीन पुत्र जहाँगीर खान, निवासी बिजासनी रोड कब्रस्तान के पास, चाँदमारी रोड, आबूरोड 2. जमालुदीन पुत्र रमजानी खां, निवासी बिजासनी रोड कब्रस्तान के पास, चाँदमारी रोड, आबूरोड 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 51/2005

दिनांक 18–03–2020

निर्णय

यह कि वादीया ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिया के पिता के समय की स्वामित्व एवं खातेदारी कृषि भूमि मौजा सांतपुर में उनके पुत्र जहाँगीर खान के नाम की निम्न खसरा नम्बरान 792/2, 794, 799/2, 801,कुल किता 4,कुल बीघा पांच बीघा एक बिस्वा एवं 798, 797, 796, कुल किता 3 कुल रकबा 00.14 बीघा इस प्रकार कुल किता–5 बीघा 08 बिस्वा की भूमि स्थित है। यह कि वादीया के भाई जहाँगीर खान पिछले 50 वर्षो से लापता है। जहाँगीर खान बिना शादी शुदा था, जिसका कोई अतापता नहीं है। उसके नाम की कृषि भूमि पर प्रतिवादी ने स्वंय को जहाँगीर खान का पुत्र बताकर अपना नाम नामान्तरकरण करवा लिया, जबकि जहाँगीर खान के कोई औलाद नहीं थी नहीं उसकी शादी हुई थी। यह कि प्रतिवादी रेलवे कर्मचारी है पढ़ा लिखा एवं चालाक व्यक्ति है। रेलवे में प्रतिवादी के पिता का नाम रमजानी खान चल रहा है। जबकि कृषि भूमि में प्रतिवादी अपने पिता का नाम जहाँगीर खान दर्ज कराया है। यह कि प्रतिवादी वादीया या जहाँगीर खान का कोई रिश्तेदार भी नहीं है। प्रतिवादी के बदनीयती से वादीया के हक अधिकारों पर आघात पहुँचाकर वादीया के भाई जहाँगीर खान की कृषि भूमि को अवैध तरीके से हड़प कर ली है।

यह कि उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि वादीया के भाई जहाँगीर खान की थी एवं जहाँगीर खान की शादी नहीं हुई थी, उसका 50 वर्षो से लापता होने से उसकी जायदाद कानूनन उसकी वारीसदार बहन नूरजहाँ हक अधिकार रखती है। परन्तु प्रतिवादी ने उक्त कृषि भूमि को अपने नाम अवैध तरीके से दर्ज करवा ली है जो काबिल खारीज योग्य है एवं प्रश्नगत कृषि भूमि पर से प्रतिवादी संख्या दो का नाम हटाकर वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाने का कथन किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये। जो बाद तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकरी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद पद मे वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि मे से खसरा नंबर 792/2, 794, 799/2 व 801 प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा शेष खसरा नम्बरान की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व श्री मौजूखां जी के वारिसान के शामलाती कब्जे काश्त व खोतदारी की है, उक्त खसरा नम्बरान की भूमि कभी भी जहाँगीर खान अकेले के खातेदारी की नहीं रही है। वादीया का श्री जहाँगीर खान से कोई सरोकार नही है। श्री जहँगीर खान कभी भी लापता नहीं हुये अपितु वे सन 1962–63 के आस पास स्वेच्छा से पाकिस्तान पलायन कर गये थे।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

––2

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या– 2, श्री जहाँगीर खान के सगा भान्जा लगता है। जमालुद्दीन चूंकि प्रारम्भ से ही श्री जहाँगीर खान की सेवा करता था व उनके साथ पुत्रवत रखता था। इस कारण श्री जहाँगीर खान की इच्छानुसार उसके बडे भाई मौजू खान व अन्य सभी समाज के बुजुर्ग लोगों ने जमालुद्दीन जो कि सन 1963 में 15 साल का अवयस्क था के नाम पर दर्ज करायी गयी, जिसका नमान्तकरण संख्या 100 दिनांक 19.01.1964 को दर्ज हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 की जन्म तारीख 09.12.1948 है म्यूटेशन भरने के वक्त प्रतिवादी संख्या 2 नाबालिंग था, उसके द्वारा स्वयं को जहाँगीर खान का गोदी पुत्र बताते हुये कोई प्रार्थना पत्र कभी भी किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम नामान्तकरण दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र भी जहाँगीर खान के बडे भाई मौजू खान द्वारा पेश किया गया। परन्तु श्री मौजू खान ने सहवन से वक्त म्यूटेशन प्रतिवादी संख्या 2 के पिता के नाम की जगह जहाँगीर खान दर्ज करा दिया जो सन 1964 से यथावत चला आ रहा है। मौजा सांतपुर में श्री मौजू खां वल्द बोदू खां तथा प्रतिवादी जमालुद्दीन के खातेदारी की खसरा नंबर 792, 794, 795, 799, 801, 798, 797 तथा 796 की शामलाती कृषि भूमि स्थित थी, जिसका विभाजन तहसीलदार आबूरोड द्वारा दिनांक 16.01.1992 को कर दिया गया। विभाजन के अनुसार प्रतिवादी जमालुद्दीन के हिस्से में खसरा नंबर 792/2, 794, 799/2 व 801 की भूमि आयी थी तथा खसरा नंबर 798, 797, तथा 796 की भूमि प्रतिवादी तथा श्री मौजू खां की शामलाती रही थी। शेष भूमि श्री मौजू खां के हिस्से में आयी थी। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी जमालुदीन का कब्जा है तथा वादीया का उक्त आराजी पर न तो कोई कब्जा है न रहा है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में कब्जे बाबत कोई अनुतोष नही मांगा गया है जिसके अभाव मे वादीया का वाद परिपोषणीय नहीं है।

प्रकरण मे निम्नानुसार तनकियात कायम की गई:–

1. आया वादीया मौजा सांतपुर की खसरा नम्बर 792/2, 794, 799/2, 801, 798, 797 व 796 के राजस्व रेकर्ड में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाकर स्वंय का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने की अधिकारी है – जिम्मे वादी
2. आया वाद पद संख्या 1 में दर्शित खसरा नम्बर की भूमि पर प्रवेश करने से न रोकने तथा बेचान रहन इत्यादी करने हेतु वादीया प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है – जिम्मेवादी
3. आया जवाबदावा विशेष कथन के विभिन्न पदों में दर्ज अनुसार वादीया का दावा चलने योग्य नहीं है – जिम्मेप्रतिवादी
4. आया प्रतिवादी पद संख्या 3 में दर्ज आराजी के राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर जमालुदीन वल्द जहाँगीर खान के स्थान पर जमालुदीन वल्द रमजानी खान का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का प्रतिवादी अधिकारी है – जिम्मेप्रतिादी
5. अनुतोष–

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा पेश नजीरों यथा मोहम्मडन लॉ की धारा 41 **Devolution of inheritance**, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 29 (घ) मुस्लिम विधि की मुख्य बातें , सुन्नी विधि मे उत्तराधिकार, वसीयती विधि एवं **AIR 2016 SUPREME COURT 1433** का अवलोकन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पेश नजीरों यथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) जगन्नाथ व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डीवीजन बेंच राम चन्द्र बनाम राजस्थान सरकार का अवलोकन किया गया।

वादी ने यह माना है कि जहाँगीर खाँ गत 50 वर्ष से लापता है तथा प्रतिवादी ने यह कथन किया है कि जहाँगीर खाँ पाकिस्तान चला गया था। गवाह जहूर मोहम्मद ने बयान किया है कि जहाँगीर खाँ के पाकिस्तान जाने की जानकारी है।

सहायक कलक्टर
बाबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

गवाह जमालुद्दीन ने भी जहाँगीर खाँ के सन् 1962–63 में पाकिस्तान जाने का बयान किया है। इस एक तथ्य को कि जहाँगीर खाँ जिसकी यह कृषि भूमि मूलरूप से कब्जे काश्त में थी, पाकिस्तान चला गया है, नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है क्यूँकि इस कारण उक्त कृषि भूमि पर **The Enemy Property Act, 1968** के प्रावधान लागू होते है। **Section 18 B Enemy Property Act 1968** ऐसी सभी सम्पत्तियाँ जो इस अधिनियम की विषय वस्तु हो सकती है, पर किसी अन्य सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर करती है। अतः बिना इस तथ्य के स्पष्ट हुए, कि उक्त व्यक्ति जहाँगीर खाँ व उसकी परिसम्पत्तियाँ **Enemy Property Act, 1968** की विषय वस्तु है या नहीं, हमारे विनम्र मत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा के दावे पर विचार किया जाना न्यायहित में प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि **Enemy Property Act, 1968** की धारा **5 B** इस प्रकार की परिसम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार के उत्तराधिकार कानूनों के लागू होने का विरोध करती हैं। अतः इस पत्रावली को दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित रखते हुए तथा पुनः वाद दाखिल करने की छूट के साथ तहसीलदार आबूरोड को यह निर्देशित किया जाता है कि **Enemy Property Act, 1968** के तहत उक्त व्यक्ति (जहाँगीर खाँ) व उसकी परिसम्पत्तियों के बारे में सक्षम स्तर पर पत्राचार कर जाँच करवा कर तय किया जाए कि उक्त परिसम्पत्तियाँ वस्तुतः **Enemy Property Act, 1968** के तहत परिसम्पत्तियाँ हैं या नहीं यदि यह परिसम्पत्तियाँ **Enemy Property Act, 1968** के तहत हैं तो नियमानुसार वादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें एवं यदि नहीं, तो वादी व प्रतिवादी दोनों को उनका पक्ष रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायित्व दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

डिक्री

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

श्रीमती नूरजहाँ पत्नी कमरू खान, निवासी चाँदमारी, आबूरोड		1. श्री जमालुदीन पुत्र जहाँगीर खान, निवासी बिजासनी रोड कब्रस्तान के पास, चाँदमारी रोड, आबूरोड 2. जमालुदीन पुत्र रमजानी खां, निवासी बिजासनी रोड कब्रस्तान के पास, चाँदमारी रोड, आबूरोड 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 51/2005

दिनांकः–18–03–2020

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री परवेज खान अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादी अविनाश शर्मा मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि इस पत्रावली को दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित रखते हुए तथा पुनः वाद दाखिल करने की छूट के साथ तहसीलदार आबूरोड को यह निर्देशित किया जाता है कि **Enemy Property Act, 1968** के तहत उक्त व्यक्ति (जहाँगीर खाँ) व उसकी परिसम्पत्तियों के बारे में सक्षम स्तर पर पत्राचार कर जाँच करवा कर तय किया जाए कि उक्त परिसम्पत्तियाँ वस्तुतः **Enemy Property Act, 1968** के तहत परिसम्पत्तियाँ हैं या नहीं यदि यह परिसम्पत्तियाँ **Enemy Property Act, 1968** के तहत हैं तो नियमानुसार वादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें एवं यदि नहीं, तो वादी व प्रतिवादी दोनों को उनका पक्ष रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायित्व दफतर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे———×———मुतलिक———×———बाबत् खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह———×———फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक———×———को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-03-20 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) **I.A.S.**
सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.03.20 10:42:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: